

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 152-अध्यक्ष/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 3-12-2013
पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर प्र०क० 5
(1)2013-14 / 3391

मेसर्स सोम डिस्ट्रिक्ट रीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला रायसेन म० प्र०

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1 आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
- 2 उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदरता, भोपाल
- 3 सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रायसेन
- 4 जिला आबकारी अधिकारी, सोम डिस्ट्रिक्ट रीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला रायसेन

.....प्रत्यर्थीगण

श्री वासुदेव ललवानी, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

आ द श

(आज दिनांक १०/१/१४ को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे संक्षेप में
अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के

०२

३२

पैरा 2 (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-12-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन ने उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता भोपाल के पत्र क्रमांक आब०/2011-12/1061 दिनांक 17-11-2011 से आबकारी आयुक्त को अवगत कराया गया कि वर्ष 2011-12 में विभिन्न अवधियों में अपीलार्थी ईकाई द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध के अनुसार बोतलों का संग्रह नहीं रखा गया है, जिस कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे हैं। उक्त पत्र के आधार पर अपीलार्थी ईकाई को कार्यालय के पत्र क्रमांक 5 (1)/2011-12/4214 दिनांक 23-12-2011 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी ईकाई द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया। आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 3-12-2013 को आदेश पारित कर मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम-4 का उल्लंघन पाते हुये रूपये 78,000/- शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना एवं समक्ष में सुनवाई किये बिना जो आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने कारण बताओ सूचना पत्र के जबाब में जो आधार बताये गये थे उन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से विचार नहीं किया गया। आसवक द्वारा बोतल बन्द मदिरा का प्रदाय ईमानदारी एवं गंभीरतापूर्वक तथा समर्पण के साथ बिना किसी शासकीय नुकसान के पूरा किया गया था और फुटकर ठेकेदारों को उनकी मांग के अनुसार प्रदाय किया गया था एवं इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज अपीलार्थी कंपनी की ओर से प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी पर जो आरोप चालानों के लंबित रहने का लगाया गया है वह निराधार है, जबकि अपीलार्थी कंपनी द्वारा आवश्यक संग्रह हमेशा रखा गया था एवं

प्रदाय किया गया था। यह कहना गलत है कि चालान लंबित रहने का कारण मदिरा का न्यूनतम संग्रह है, बल्कि वास्तविकता यह है कि फुटकर लायसेसियों द्वारा मदिरा उठाने में अक्षम होने की वजह से मदिरा का प्रदाय नहीं किया जा सका था। अतः इस कारण शासन को किसी भी प्रकार की राजस्व की कोई क्षति (हानि) नहीं हुई और न ही किसी फुटकर लायसेसी द्वारा हुए नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से की है। इसलिये अपीलार्थी कंपनी पर किसी भी प्रकार की कोई भी शास्ति नहीं लगायी जा सकती।

(3) अपीलार्थी कंपनी द्वारा अपने कारण बताओ सूचना पत्र के जबाब में यह निवेदन किया था कि उनके द्वारा प्रदाय व्यवस्था विधिवत बनायी रखी गयी है। बल्कि वितरकों द्वारा ही निर्धारित मासिक स्कंध उठाया नहीं गया है। आसवक द्वारा प्रदाय हेतु उपलब्ध स्कंध की जानकारी पत्र दिनांक 28-7-2011 के द्वारा प्रेषित की गई थी, जिसमें फुटकर ठेकेदारों के द्वारा मदिरा प्रदाय कम लिये जाने के कारण मद्य भाण्डागारों में आसवक की गाड़िया 3-3 दिन तक खाली नहीं हो पाने का कारण उल्लिखित किया गया था। साथ ही मौखिक रूप से सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रायसेन को भी उक्त स्थिति की जानकारी दी गई थी। मद्य भाण्डागारों के सील बन्द मदिरा का स्टांक अधिक मात्रा में हो गया था। आसवक के द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था एवं निवेदन किया था कि फुटकर ठेकेदारों द्वारा मदिरा का प्रदाय लिये जाने हेतु उचित पत्राचार/दिशा निर्देशन देने की कृपा करें। चालान का लंबित रहना अन्य व्यवहारिक कारणों पर भी निर्भर होता है, जैसे कि फुटकर ठेकेदारों द्वारा समय पर चालान जमा नहीं करना, बेसिक लायसेस फीस जमा नहीं होना एवं प्रदाय मूल्य का भुगतान नहीं होने के कारण प्रदाय नहीं किया जा सकता है, जिसका यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिये कि स्कंध की अनुपलब्धता थी। फुटकर विकेता नियम 5 मध्य प्रदेश देशी मदिरा नियम 1995 के अंतर्गत निर्देशित उपबंधों के अनुपालन करने के पश्चात ही स्कंध प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है, इसमें उसके द्वारा चूक की गई है। उक्त तथ्य के कारण भी बल मिलता है कि किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा प्रदाय व्यवस्था के विषय में कोई शिकायत नहीं की गई है न ही हमारी प्रदाय व्यवस्था के कारण किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। आसवक के द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है कि अन्य जिलों में भी प्रदाय व्यवस्था निरन्तर जारी रहे। आसवक के द्वारा निरन्तर मदिरा प्रेषण भेजे जा रहे हैं, किन्तु फुटकर ठेकेदार की अपनी समस्या के चलते जैसे कि माह एवं पक्ष के अंतिम दिन चालान जमा

करना, टीडीएस जमा नहीं करने मदिरा का प्रदाय मूल्य का भुगतान नहीं करने के कारण प्रदाय लंबित रहता है जिस पर आसवक को जिम्मेदार ठहराना अनुचित होगा ।

(4) आसवक द्वारा यह भी बताया कि मद्य भाण्डागारों में प्रदाय व्यवस्था पूर्ण रूप से सतत जारी रही है । मद्य भाण्डागारों पर बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को कोई हानि नहीं हुई है । फुटकर ठेकेदारों को मांग अनुसार मदिरा का प्रदाय दिया गया है । कोई चालान लंबित नहीं रहे हैं । मदिरा के अभाव में दुकाने बंद रहने के कारण क्षतिपूर्ति की मांग भी नहीं की गई है । इस प्रकार अपीलार्थी कंपनी द्वारा दिये गये जबाब पर विधिवत विचार किये बिना, जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपारत किये जाने योग्य है ।

(5) राज्य शासन को क्या हानि हुई इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया । इसलिये प्रमाण भार के अभाव में शासन को हुई हानि की कल्पना नहीं की जा सकती । अतः ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपारत किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में ए0आई0आर0 2000 म0 प्र0 92, 2000 राजस्व निर्णय 9 2000

(1) एम0 पी0एल0जे 229, ए0आई0आर0 1970 सु0को0 253, एआईआर 1980 सु0को0 346 एआईआर 1985 सु0को0 285, एआईआर 1990 सु0कोर्ट 1979 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपीलार्थी इकाई द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध संग्रह कम रखा गया है, जिस कारण चालान लंबित रहने के कारण शासन को हानि हुई है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये आबकारी आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा मद्यभाण्डागार में बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है । इस कारण चालान लंबित रहे हैं, जिनका उल्लेख आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया गया है । अतः स्पष्टतः जहाँ अपीलार्थी इकाई द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है वहीं म0प्र0देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का भी उल्लंघन किया गया है क्योंकि

०१

०२

नियम 4(4) में न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है। जहाँ नियम 4(4) का उल्लंघन है वहाँ नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्कों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जहाँ अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी इकाई द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत च्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-12-2013 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

7/ यह आदेश अपील प्रकरण क्रमांक 153—पीबीआर/14, 157—पीबीआर/14, 158—पीबीआर/14, 159—पीबीआर/14, एवं 160—पीबीआर/14 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये।

७०२


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर